रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258812
CG-DL-E-21112024-258812

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946
No. 662]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 721(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रारूप नियमों का और संशोधन करने के लिए, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ), तारीख 9 अगस्त, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित हाने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 13 अगस्त, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.........संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125-ढ के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"125-ण. इलेकट्रिक पावर ट्रेन निर्माण उपकरण वाहनो के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं 1 जनवरी, 2025 को और उसके पश्चात् इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लगे हुए निर्माण उपकरण वाहन एआईएस-174 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को तब तक पूरा करेंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।"।

[फा. सं. आरटी-11028/02/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 709(अ), तारीख 14 नवम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2024

G.S.R. 721(E).—WHEREAS, the draft rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 497(E), dated the 9th August, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 13th August, 2024;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125-N following rule shall be inserted, namely: -

"125-O. Safety Requirements for Electric Power Train Construction Equipment Vehicles. – On and after 1st day of January, 2025, Construction Equipment Vehicles fitted with Electric Power Train shall meet requirements as specified in AIS-174, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016)."

[F. No. RT-11028/02/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 709(E), dated the 14th November, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.21 21:57:42 +05'30'